न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2021 (100/2017)

1. रूप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
2. सरजीत कौर पत्नी रूप सिंह

} अकवाम जटसिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थीगण

बनाम

जसविन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 30.03.2017, प्र. सं. 12/2017

उपस्थितिः—

श्री महेन्द्र सिंह सन्धू, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री धीर सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 27.08.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र रूप सिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 30 के नाम चक 5 के एस पी के खाता संख्या 12/9 में कुल 49.056 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन खाला रास्ता दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। उक्त 49.056 हैक्टेयर भूमि में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के पिता के नाम से 2.054 हैक्टेयर एवं माता के नाम से 3.066 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पंजाब के तहसील मुक्तसर मोजा बड़ा हरी में अपने पिता बलविन्द्र सिंह से खैवट संख्या 1209/1 तथा खैवट संख्या 1559, 1301 से प्राप्त हक व हिस्सा की पैतृक भूमि थी, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि अलग–अलग बैयनामों से दिनांक 01.02.1982 तथा 22.06.82 को विक्रय कर दी। विक्रय करने के पश्चात् प्राप्त राशि से अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 5 के एस पी में हरनैक सिंह आदि का 1/8 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 01.07.1982 व दिनांक 20.01.1983 को 3.066 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की माता के नाम से खरीद कर ली। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की भूमि विक्रय की आय से खरीद की है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 15.06.1998 को प्रतिवादी संख्या 12 से 15 को बेचान कर दिया। शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 3.066 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो पंजाब में स्थित पैतृक कृषि भूमि के बेचान से प्राप्त आय से खरीद शुदा है। इस प्रकार उक्त पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार है। घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 कुल 5.120 हैक्टेयर भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज चला आ रहा है, परन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि को आगे हस्तान्तरण करना चाहते है यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि को आगे रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण की स्वअर्जित भूमि है। अप्रार्थीगण के जीवन काल में प्रार्थी कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का किसी भी हिस्सा पर कब्जा काश्त नहीं है व न ही कोई पारिवारिक समझौता हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने दिनांक 30.03.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को रहन, बैय नहीं करने, प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जवाब प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है जो अपीलार्थी स्वअर्जित भूमि है। पंजाब में स्थित भूमि अपीलांट की निजी सम्पत्ति थी जिसमें रेस्पोडेंट का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंट को बंटवारा में कोई भूमि नहीं दी है, न ही उसका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का मामला मानते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जबकि रेस्पोडेंट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2016 डी एन जे (रेवेन्यू) 82, 2015 (2) आर आर टी 1182, 2015(1) आर आर टी 663, 560, 2016 डी एन जे (रेवेन्यू) 231 की नजीरें पेश की।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट के माता–पिता है एवं इनके द्वारा पंजाब में भूमि विक्रय कर विवादित भूमि क्रय की गई है। विवादित भूमि पैतृक है एवं घरू बंटवारा में जो भूमि रेस्पोडेंट को दी गई है उस पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज होने से अपीलांट उक्त भूमि को आगे बेचान कर सकते हैं जिससे रेस्पोडेंट को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। हर प्रकार से मामला रेस्पोडेंट के पक्ष में था। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 का रेस्पोडेंट पुत्र है। रेस्पोडेंट ने यह कथन किया कि विवादित भूमि पंजाब की सम्पत्ति विक्रय कर विवादित भूमि क्रय की गई है एवं उस स्थिति में पैतृक सम्पत्ति होने से अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार बनता है, जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है एवं अपीलांट अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके अनुसार उसे घरू बंटवारा में कोई हक व हिस्सा प्राप्त हुआ हो। पंजाब की सम्पत्ति विक्रय कर विवादित भूमि क्रय की गई हो एवं पंजाब की सम्पत्ति पैतृक हो इसका निर्णय तो वाद के अन्तिम निर्णय में साक्ष्य आदि आने के पश्चात् ही होगा, किन्तु प्रस्तुत अभिलेखा अनुसार अपीलांट विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है एवं अपीलांट की विवादित भूमि स्वअर्जित है जिसमें अपीलांट के जीवन काल में प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंट का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। अपीलांट द्वारा जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किये है उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में प्रतीत होना नहीं पाया जाता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के पक्ष में मामला मानते हुए जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 निरस्त किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested